प्रदर्श — "ज"

— : : प्रमाण पत्र : : —

मेसर्स छत्तीसगढ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 छ0ग0 शासन का एक उपक्रम सोनाखान भवन रिंग रोड–1, ग्राम पुरैना पो.आ. रविग्राम रायपुर को गैरवानिकी कार्य हेतु सरगुजा जिला में आरक्षित वन मण्डल सरगुजा गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु 99.350 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

(1) प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, में नियम सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ....— हे0 एवं/राजस्व वन भूमि 99.350 हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम पथरई तहसील नैनपाट में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 21.08.2015 (**"प्रदर्श—अ"**) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (**"प्रदर्श—ब"**) पर दर्शित है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पथरई ग्राम के सरपंच **श्रीमती बोटेली** की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.08.2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें, दिनांक सहित) एवं इसमें 53 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया है कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :—

क्रमांक	ग्राम नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे0में)
1	2	3	4
1	पथरई	टिपिन पति अरुणा	0.202

(3) यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गये उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम **53 प्रतिशत** सदस्यों की उपस्थित का कोरम पूर्ण था।

(4) यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **21.08.2015** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवसी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2008" की धारा 3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रुप से संरक्षित रखना है।

(5) संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **21.08.2015**/दिनांक **21.08.2015** के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धार 3 (2) अन्तर्गत शासनद्वारा संचालित कोई सुबिधा विद्यमान नहीं है

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

दिनांक :- 27/08/2015

नाम (श्रीमती ऋतु सैन)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष जिला वन अधिकार समिति
जिला सरगुजा (छ0ग0)